(55)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 666–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–2–14 पारित द्वारा तहसीलदार, राघौगढ़ प्रकरण कमांक 03/अ–70/12–13.

मूलचन्द पुत्र बक्शूराम लोधा
निवासी ग्राम बावडीखेडा
तहसील राघौगढ़ जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1– कल्लीबाई बेवा लक्ष्मण सहरिया
निवासी ग्राम दौराना
तहसील राघौगढ़ जिला गुना
2– शिमलाबाई पुत्री लक्ष्मण पत्नी कल्लू सहरिया
निवासी ग्राम कौलूवा
तहसील राघौगढ़ जिला गुना
3– गुड्डीबाई पुत्री लक्ष्मण पत्नी विजयसिंह सहरिया
निवासी ग्राम सारतवे
तहसील राघौगढ़ जिला गुना
4– गायत्री बाई पुत्री लक्ष्मण पत्नी चांदसिंह सहरिया
निवासी ग्राम शाहपुर
तहसील मधुसुदनगढ़ जिला गुना
5– ममताबाई पुत्री लक्ष्मण पत्नी गुड्डू सहरिया
निवासी ग्राम गोपालपुरा
तहसील राघौगढ़ जिला गुना
6– सोनाबाई पुत्री लक्ष्मण
7– सरदार पुत्र लक्ष्मण सहरिया
8– रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मण सहरिया
9– रूपसिंह पुत्र लक्ष्मण सहरिया
10– भागीरथ पुत्र लक्ष्मण सहरिया
11– अर्जुन नाबालिग पुत्र लक्ष्मण
द्वारा सरपरस्त मॉ कल्लीबाई पत्नी लक्ष्मण
निवासीगण ग्राम दौराना
तहसील राघौगढ़ जिला गुना

12– श्रीलाल पुत्र बंशीलाल सेन
13– काशीराम पुत्र नंदा
निवासीगण ग्राम बावडीखेडा
तहसील राघौगढ़ जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.एल. धाकड़, अभिभाषक, अना. क. 1 लगायत 11 एवं 13

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, राघौगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 11 द्वारा तहसीलदार, परगना राघौगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 250 (ख) के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 11 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम दौराना स्थित सर्वे कमांक 1/1 रकबा 1.404 हेक्टेयर भूमि में से रकबा 0.157 हेक्टेयर पर अनावेदक कमांक 12 श्रीलाल तथा रकबा 0.627 हेक्टेयर पर अनावेदक कमांक 13 काशीराम एवं रकबा 0.620 हेक्टेयर पर आवेदक मूलचंद द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, अतः कब्जा वापिस दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–70/12–13 दर्ज कर दिनांक 18–2–14 को आदेश पारित कर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन निरस्त कर दिये जाने के कारण पुनः सीमांकन करने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 11 द्वारा सीमांकन आदेश दिनांक 8–7–2012 के आधार पर तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त सीमांकन आदेश को तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 6–9–2012 को निरस्त किया जा चुका है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 11 को

संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है, और तहसील न्यायालय द्वारा तथाकथित रूप से पुनः सीमांकन का आदेश देना न्यायिक प्रकिया के पूर्णतः विपरीत है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 11 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के विपरीत था, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर पुनः सीमांकन का जो आदेश दिया है, वह अवैधानिक है, इसलिए स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 1998 आर0एन0 2012 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक अनावेदक कमांक 1 लगायत 11 एवं 13 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 11 की भूमियों के संबंध में पुनः सीमांकन के आदेश दिये गये हैं, जिसमें आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा मात्र दिनांक 6–9–2012 के पूर्व पारित आदेशों का पालन करने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, राघौगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर